No. A-12012/01/2022-Ad.II Government of India/ Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs/ Grih Mantralaya

North Block, New Delhi Dated the \7*June, 2022

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Policy for appointment on Compassionate basis.

This Ministry has adopted a modified policy for appointment on Compassionate basis in line with the guidelines issued by DoP&T vide its OM No.43019/9/2019-Estt.(D) dated 23.08.2021. You are requested to put the same out in public domain by publishing it on MHA website in 'WHAT'S NEW' section and in 'Policies and Guidelines' in 'Documents' section .

Encl.: English and Hindi versions of the policy

(Vishvajeet Kumar Gupta)

Under Secretary to the Government of India Tel. 011-2309 3666

IT Cell

गृह मंत्रालय (खास) में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए नीति

अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति योजना का उद्देश्य सेवाकाल में मृत या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी जिससे उसका परिवार गरीबी में और आजीविका के साधन के बिना रह जाता है, के आश्रित परिवार के किसी सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करना और संबंधित सरकारी कर्मचारी के परिवार को आर्थिक तंगी से उबारने और उसे आपात स्थिति से निकालने में मदद करना है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में दिनांक 16.01.2013 के अपने का. ज्ञा. संख्या 14014/02/20212-स्था.(डी) के तहत संबंधित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं।

- 2. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने दिनांक 23.08.2021 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या 43019/9/2019-स्था.(डी) के तहत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता लाने के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए कल्याण अधिकारी की भूमिका तय करने, आवेदनों के मूल्यांकन के लिए अंक आधारित योग्यता योजना अपनाने, प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आईडी के साथ क्रमबद्ध करने और स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त को सार्वजनिक डोमेन में रखने जैसे विभिन्न उपाय निर्धारित किए गए थे।
- 3. कल्याण अधिकारी, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दिलाने में सहायता करेगा। आवेदक को सर्व प्रथम व्यक्तिगत रूप से बुलाया जाएगा और उसे व्यक्तिगत रूप से पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं और औपचारिकताओं के बारे में बताया जाएगा। आवश्यक जानकारी का पता लगाने और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के मामलों पर कार्रवाई करने के लिए आवेदक द्वारा विधिवत भरे हुए प्रोफार्मा का प्रयोग किया जाएगा।
- 4. अनुकम्पा नियुक्ति के आवेदनों पर मंत्रालय में उप सचिव/निदेशक स्तर के तीन अधिकारियों एक अध्यक्ष और दो सदस्यों वाली एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा। कल्याण अधिकारी को उसके रैंक के आधार पर समिति का एक सदस्य/अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। इस समिति की सिफारिश, निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखी जाएगी।
- 5. पारदर्शिता और निष्पक्षता अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति योजना के प्रमुख पहलू हैं। परिवार की वित्तीय स्थिति का समग्र मूल्यांकन कमाने वाले सदस्य (सदस्यों) की उपस्थिति, परिवार के आकार, बच्चों की उम्र और परिवार की वित्तीय जरूरतों जैसे कारकों को ध्यान में रखकर किया जाना है।
- 6. इस मंत्रालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में मौजूदा स्थिति की समीक्षा की गई है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों में उल्लिखित विभिन्न विशेषताओं के आधार पर 100 अंक-मान पर एक अंक आधारित योग्यता योजना तैयार की जानी चाहिए जैसा कि अनुलग्नक-। में दिया गया है।
- 7. अंक आधारित मेरिट स्कीम में आवेदन करते समय, जैसा कि अनुलग्नक-। में उल्लेख किया गया है, यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कुछ उम्मीदवार मैरिट में समान अंक हासिल करते हैं और संवर्ग नियंत्रण

प्राधिकारी ऐसे उम्मीदवारों की मैरिट पर निर्णय लेने में असमर्थ हो, तो ऐसे मामलो में, प्रति आश्रित उपलब्ध आय को निर्णायक कारक बनाया जा सकता है अर्थात अनुलग्नक-। में उल्लेखित प्रथम तीन वित्तीय मापदंडों (वार्षिक पेंशन, कुल सेवांत लाभ और कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय तथा सम्पत्ति से होने वाली आय) को कुल आश्रितों की संख्या से विभाजित कर दिया जाता है। प्रति आश्रित उपलब्ध आय जितनी कम होगी, आवेदकों जिनके अंकों में समानता है, के बीच रैंक में उतना ही ज्यादा अंतर होगा।

- 8. प्रति आश्रित उपलब्ध आय का कारक लागू करने के बाद भी टाई की स्थिति में, सरकारी सेवक की बची हुई सेवा पर विचार किया जा सकता है। इस प्रयोजन से यह सुझाव दिया गया है कि मृतक की बकाया सेवा जितनी लंबी होगी, परिवार पर उतना ही अधिक प्रभाव पड़ेगा। अधिक बकाया सेवा वाले सरकारी सेवक से संबंधित आवेदकों को कम बकाया सेवा वाले सरकारी सेवकों की तुलना में अधिक महत्व दिया जाएगा।
- 9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने में प्रशासनिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक जानकारी का पता लगाने के लिए अनुलग्नक- ॥ में दिए गए फॉर्म का उपयोग किया जा सकता है, जिसके तीन भाग हैं:

क्रमांक	भाग	शीर्षक
1.	क	सेवा काल में मृत या चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के आश्रितों द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र।
2.	ख	उस कार्यालय द्वारा भरा जाना है जिसमें रोजगार का प्रस्ताव है।
3.	ग	अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 100-अंक मान पैमाने पर सापेक्ष योग्यता अंक मूल्यांकन।

10. निष्पक्षता आधारित योग्यता योजना अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना को आवश्यक निष्पक्षता, एकरूपता और पारदर्शिता प्रदान करती है। अब से, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदकों की तुलनात्मक योग्यता का आकलन करने के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के साथ इसका कड़ाई से पालन किया जाएगा।

गृह मंत्रालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदक के विभिन्न गुणों के लिए अंकों के आबंटन के लिए सापेक्ष योग्यता अंक प्रणाली

अनुलग्नक-॥ के भाग-ग के लिए 100 अंक के पैमाने के आधार पर

(i) पारिवारिक पेंशन (मंहगाई राहत और भत्तों को छोड़कर मूल)

(20 अंक)

क्रमांक	प्रस्तावित स्लैब	अंक
1.	10,000 . तक	20
2.	10,001 - 13,000	18
3.	13,001 - 16,000	16
4.	16,001 - 19,000	14
5.	19,001 - 22,000	12
6.	22,001 - 25,000	10
7.	25,001 - 28,000	08
8.	28,001 और ऊपर	06

(ii) सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को प्राप्त सेवांत लाभ अर्थात एकमुश्त राशि (अर्थात डीसीआर ग्रेच्युटी, जीपीएफ / एनपीएस, सीजीईजीआईएस, छुट्टी नकदीकरण आदि के तहत एकमुश्त राशि):

(10 अंक)

01.01.2016 के बाद हुई मृत्यु के मामलों के लिए	01.01.2016 से पहले हुई मृत्यु के मामलों के लिए	अंक
10,00,000 तक	4,50,000 तक	10
10,00,001 - 12,00,000	4,50,001 - 5,25,000	09
12.00,001 - 14,00,000	5,25,001 - 6,00,000	08
14,00,001 - 16,00,000	6,00,001 - 6,75,000	07
16,00,001 - 18,00,000	6,75,001 - 7,50,000	06
18,00,001 - 20,00,000	7,50,001 - 8,25,000	05
20,00,001 - 22,00,000	8,25,001 - 9,00,000	04
22,00,001 - 24,00,000	9,00,001 - 9,75,000	03
24,00,001 - 26,00,000	9,75,001 - 10,50,000	02
26,00,001 और अधिक	10,50,001 और अधिक	01

(iii) परिवार के कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय और संपत्ति से आय

(10 अंक)

क्रमांक	वार्षिक आय	अंक
1.	शून्य से 1,00,000	10
2.	1,00,001 से 3,00,000	08
3.	3,00,001 से 5,00,000	06
4.	5,00,001 से 7,00,000	04
5.	7,00,001 से 9,00,000	02
6.	9,00,000 से अधिक	00

(iv) अचल संपत्ति

(10 अंक)

क्रमांक	प्रस्तावित स्लैब	अंक
1.	शून्य	10
2.	200 वर्ग फुट तक	08
3.	201 से 400 वर्ग फुट	06
4.	401 से 700 वर्ग फुट	04
5.	701 से 1100 वर्ग फुट	02
6.	1101 वर्ग फुट या अधिक	00

(v) मृत सरकारी कर्मचारी की बची हुई सेवा

(15 अंक)

मृतक की बची हुई सेवा	अंक	मृतक की बची हुई सेवा	अंक	मृतक की बची हुई सेवा	अंक
2 साल तक	01	12 साल तक	06	22 साल तक	11
4 साल तक	02	14 साल तक	07	24 साल तक	12
6 साल तक	03	16 साल तक	08	26 साल तक	13
8 साल तक	04	18 साल तक	09	28 साल तक	14
10 साल तक	05	20 साल तक	10	30 वर्ष तक और	15
				उससे अधिक	

(vi) अविवाहित बेटियों की संख्या

(10 अंक)

क्रमांक	अविवाहित बेटियों की संख्या	अंक
1.	01	05
2.	02 और उससे अधिक	10

(vii) आश्रित नाबालिग बच्चों की संख्या

(05 अंक)

क्रमांक	नाबालिग आश्रित बच्चों की संख्या	अंक
1.	01	03
2.	02 और उससे अधिक	05

(viii) यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी ने अपने लिए अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन किया है। (10 अंक)

(ix) यदि परिवार के आश्रित सदस्यों में से एक या अधिक व्यक्ति विकलांग हैं।

(10 अंक)

क्रमांक	प्रतिशत विकलांगता	अंक
1.	40% तक	04
2.	40-60%	06
3.	60-80%	08
4.	80-100%	10

कुल अंक - 100

सेवा काल में मृत/चिकित्सा के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवक के आश्रितों द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रपत्र।

भाग-क

I	(a)	सरकारी कर्मचारी का नाम (मृतक/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्त)
	(ख)	सरकारी सेवक का पदनाम
	(ग)	क्या वह एमटीएस (तत्कालीन समूह 'घ') है या नहीं?
	(ঘ)	सरकारी सेवा में आने की तारीख
	(ङ)	मृत्यु/ चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति की तारीख
	(च)	की गई सेवा की कुल अवधि
	(छ)	स्थायी है अथवा अस्थायी
	(ज)	क्या एससी/एसटी/ओबीसी से हैं
II	(a)	नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम
	(ख)	सरकारी सेवक से संबंध
	(ग)	जन्मतिथि
	(ङ)	शैक्षिक योग्यता
	(च)	क्या परिवार के किसी अन्य आश्रित सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी गई है।

III.		तिखित की राशि सहित पीछे छोड़ी गई कुल त का विवरण
	(क)	पारिवारिक पेंशन
	(ख)	डीसीआर ग्रेच्युटी
	(ग)	जीपीएफ शेष
	(ঘ)	जीवन बीमा पॉलिसी (डाक जीवन बीमा सहित)
	(ङ)	चल और अचल संपत्तियां और परिवार को उनसे प्राप्त वार्षिक आय।
	(च)	सीजीई बीमा राशि
	(평)	छुट्टी नकदीकरण
	(ज)	कोई अन्य संपत्ति
		कुल:
IV.	देनदा	रियों यदि कोई हो, का संक्षिप्त विवरण
		*

V	सरकारी सेवक के परिवार के सभी आश्रित सदस्यों का विवरण (यदि कुछ सदस्य नियोजित हैं उनकी आय और क्या वे एक साथ रह रहे हैं अथवा अलग)					
क्रमांक	नाम	सरकारी सेवक के साथ संबंध	आयु	पता	नियोजित हैं अथवा नहीं (यदि नियोजित हैं, तो रोजगार और परिलब्धियों का विवरण)	वैवाहिक स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						

VI. घोषणा / वचन

- 1. मैं घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा ऊपर दिए गए तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। यदि इसमें उल्लिखित तथ्यों में से कोई तथ्य भविष्य में गलत या असत्य पाया जाता है, तो मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
- 2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं इस प्रपत्र के भाग-क के 1(क) के सामने उल्लिखित सरकारी कर्मचारी/सशस्त्र बलों के सदस्य पर आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का उचित भरण पोषण करूंगा और यदि कभी यह साबित हो जाता है कि उक्त परिवार के सदस्यों की उपेक्षा की जा रही है या मेरे द्वारा ठीक से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है, तो मेरी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।

तारीख:

	उम्मीदवार के हस्ताक्षर
नाम: .	
पताः .	

(उस विभाग द्वारा भरा जाए जिसमें रोजगार का प्रस्ताव है)

क.	उम्मीदवार का नाम	
ख.	सरकारी सेवक के साथ उसका संबंध	
ग.	आयु (जन्म तिथि), शैक्षिक योग्यता और अनुभव यदि कोई हो।	
घ.	पद (समूह ग) जिसके लिए रोजगार प्रस्तावित है।	
ङ.	क्या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्कीम के अंतर्गत निर्धारिति 5% की सीमा में रिक्त पद है।	
च.	क्या भरा जाने वाला पद केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा में है या नहीं।	
छ.	क्या प्रासंगिक भर्ती नियमों में सीधी भर्ती का प्रावधान है।	
ज.	क्या उम्मीदवार पद के भर्ती नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करता है	
झ.	रोजगार कार्यालय/कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया से छूट के अलावा क्या कोई अन्य छूट दी जानी है	
I.	क्या भाग-क में उल्लिखित तथ्यों का कार्यालय द्वारा सत्यापन किया गया है; यदि हां, तो अभिलेखों का उल्लेख करें।	
II.	यदि सरकारी कर्मचारी की मृत्यु/चिकित्सा आधार पर सेवानिवृत्ति 5 वर्ष से अधिक पहले हुई थी, तो इस मामले को पहले प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया।	
II.	मंत्रालय/विभाग/कार्यालय प्रमुख की व्यक्तिगत सिफारिश (हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुहर/सील के साथ)।	

भाग - ग अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए 100 अंकों के पैमाने पर सापेक्ष योग्यता अंक मूल्यांकन

क्रमांक	मापदंड	मापदंडों के लिए आबंटित अंक	उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंक
1.	पारिवारिक पेंशन (मंहगाई राहत और भत्ते	20	
	को छोड़कर)		
2.	सरकारी कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को	10	
	प्राप्त सेवांत लाभ अर्थात एकमुश्त राशि।		
	(अर्थात डीसीआर ग्रेच्युटी, जीपीएफ/		
	एनपीएस के तहत एकमुश्त राशि,		
	सीजीईजीआईएस, छुट्टी नकदीकरण		
	आदि।		
3.	कमाने वाले सदस्यों की वार्षिक आय और	10	
	संपत्ति से आय		
4.	अचल संपत्ति	10	
5.	मृत सरकारी कर्मचारी की बची हुई सेवा	15	
6.	अविवाहित बेटियों की संख्या	10	
7.	आश्रित नाबालिग बच्चों की संख्या	05	
8.	यदि मृतक सरकारी कर्मचारी की पत्नी ने	10	
	अपने लिए अनुकंपा के आधार पर		
	नियुक्ति हेतु आवेदन किया है		
9.	यदि परिवार के आश्रित सदस्यों में से एक	10	
	या अधिक व्यक्ति विकलांग हैं (%		
	विकलांगता के साथ)		
	कुल	100	

Policy for appointment on Compassionate basis in MHA(P)

The object of the Compassionate appointment Scheme is to grant appointment on compassionate grounds to a dependent family member of a Government servant dying in harness or who is retired on medical grounds, thereby leaving his family in penury and without any means of livelihood and relieve the family of the Government servant concerned from financial destitution and help it get over the emergency. The relevant guidelines in this regard have been laid by DoP&T vide its OM No.14014/02/20212-Estt.(D) dated 16.01.2013.

- 2. DoP&T vide its OM No.43019/9/2019-Estt.(D) dated 23.08.2021 laid down additional guidelines to bring out more transparency and objectivity in the process of Compassionate appointment. To give effect to this, various measures like chalking out role of Welfare Officer, adopting a point based merit scheme for assessing applications, indexing each application with a unique ID and putting out minutes of meeting of the Screening Committee in public domain were stipulated.
- 3. The Welfare Officer will assist the dependent family of the deceased Government employee in getting appointment on compassionate grounds. The applicant would be called in person at the very first stage and advised in person about the requirements and formalities to be completed. A duly filled proforma by the applicant shall be used to ascertain necessary information and processing the cases of compassionate appointment.
- 4. The applications for compassionate appointment shall be considered by a Committee consisting of three officers one chairman and two members of the rank of Deputy Secretary/ Director in the Ministry. The Welfare Officer may also be made one of the members/ chairman of the Committee, depending on his rank. Recommendation of the committee shall be placed before the Competent Authority for a decision.
- 5. Transparency and objectivity are the foremost aspects of scheme for compassionate appointment. A holistic assessment of the financial condition of the family has to be made taking into consideration factors like presence of earning member(s), size of family, age of children and the financial needs of family.
- 6. The extant position regarding appointment on compassionate basis in this Ministry has been reviewed and it has been decided by the Competent Authority that to ensure utmost transparency, a point based merit scheme based on various attributes indicated in the guidelines of DoP&T should be worked out on a 100 point-scale as laid down in Annexure-I.
- 7. While applying point based merit scheme, as mentioned in Annexure-I, if situation arises that some candidates secure equal marks in merit and Cadre Controlling Authority is unable to decide the merit of such candidates, in such cases the tie-breaking factor can be income available per dependent i.e. total of first three financial parameters prescribed in **Annexure-I** (Pension annualized, total terminal

benefits and annual income of earning members and income from property) divided by total number of dependents. The lesser the per dependent available income, the higher the rank amongst the applicants whose scores had a tie.

- 8. In case of tie even after applying the factor of per dependent available income, then the left-over service of Government servant can be considered. This is suggested as it may be implied that longer the left-over service of the deceased, the more is the impact on the family. Applicants related to Government servant with higher left-over service would be considered over the one with lesser left-over service.
- 9. Keeping in view the administrative requirement in processing applications for compassionate appointment, the form as in **Annexure-II** may be used for ascertaining necessary information which consists of three parts as under:

S. No.	Part	Title	
1.	Α	Form for seeking Compassionate appointment by dependents of Government servants deceased while in service or retired on medical grounds.	
2.	В	To be filled by the Office in which employment is proposed.	
3.	С	Relative Merit Points Assessment on a 100-point scale for compassionate appointment.	

10. Point based merit scheme imparts the necessary objectivity, homogeneity and transparency to the scheme for appointment on compassionate grounds. Henceforth, it shall be followed strictly along with the instructions issued by DoP&T time to time, for assessing comparative merit of the applicants for compassionate appointment.

Relative Merit Points System For Allocation Of Points For Various Attributes of Applicant For Compassionate Appointment in MHA

Based On 100 Point Scale For Part-C of Annexure-II

(i) Family Pension (basic excluding DR & Allowances)

(20 points)

SI. No.	Proposed Slab	Points
1.	Upto 10,000	20
2.	10,001 - 13,000	18
3.	13,001 - 16,000	16
4.	16,001 - 19,000	14
5.	19,001 - 22,000	12
6.	22,001 - 25,000	10
7.	25,001 - 28,000	08
8.	28,001 & above	06

(ii) Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Govt. servant (i.e. DCR Gratuity, GPF/ Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.):

(10 points)

For post 01.01.2016 death	For pre 01.01.2016 death	Points
cases	cases	
Up to 10,00,000	Up to 4,50,000	10
10,00,001 - 12,00,000	4,50,001 - 5,25,000	09
12,00,001 - 14,00,000	5,25,001 - 6,00,000	08
14,00,001 - 16,00,000	6,00,001 - 6,75,000	07
16,00,001 - 18,00,000	6,75,001 - 7,50,000	06
18,00,001 - 20,00,000	7,50,001 - 8,25,000	05
20,00,001 - 22,00,000	8,25,001 - 9,00,000	04
22,00,001 - 24,00,000	9,00,001 - 9,75,000	03
24,00,001 - 26,00,000	9,75,001 - 10,50,000	02
26,00,001 & above	10,50,001 and above	01

(iii) Annual income of earning members of the family & income from property

(10 Points)

SI. No.	Annual Income	Points
1.	Nil to 1,00,000	10
2.	1,00,001 to 3,00,000	08
3.	3,00,001 to 5,00,000	06
4.	5,00,001 to 7,00,000	04
5.	7,00,001 to 9,00,000	02
6.	Above 9,00,000	00

(iv) Immovable Property

(10 points)

SI. No.	Proposed Slab	Points
1.	Nil	10
2.	Upto 200 sq ft	08
3.	201 to 400 sq ft	06
4.	401 to 700 sq ft	04
5.	701 to 1100 sq ft	02
6.	1101 or more sq ft	00

(v) Leftover service of the deceased Government employee

(15 Points)

Leftover service of deceased	Points	Leftover service of deceased	Points	Leftover service of deceased	Points
Upto 2 years	01	Upto 12 years	06	Upto 22 years	11
Upto 4 years	02	Upto 14 years	07	Upto 24 years	12
Upto 6 years	03	Upto 16 years	08	Upto 26 years	13
Upto 8 years	04	Upto 18 years	09	Upto 28 years	14
Upto 10 years	05	Upto 20 years	10	Upto 30 years & above	15

(vi) Number of unmarried daughters

(10 Points)

SI. No.	No. of Unmarried daughters	Points
1.	01	05
2.	02 & above	10

(vii) Number of dependent minor children

(05 points)

SI. No.	No. of minor dependent children	Points
1.	01	03
2.	02 & above	05

- (viii) If Wife of the deceased Govt. official has applied for compassionate appointment for herself. (10 Points)
- (ix) If one or more person(s) amongst the dependent family members is disable.

(10 Points)

SI. No.	Percentage Disability	Points
1.	Up to 40%	04
2.	40-60 %	06
3.	60-80%	08
4.	80-100%	10

Total Points - 100

FORM FOR SEEKING COMPASSIONATE APOINTMENT BY DEPENDENTS OF GOVERNMENT SERVANT DECEASED WHILE IN SERVICE/ RETIRED ON MEDICAL GROUNDS.

PART-A

I.	(a)	Name of the Government Servant(Deceased/Retired on medical grounds)
	(b)	Designation of the Government Servant
3	(c)	Whether it is MTS (erstwhile Group 'D') or not?
	(d)	Date of the Government Servant
	(e)	Date of Death/retirement on medical grounds
	(f)	Total length of service rendered
	(g)	Whether permanent or temporary
	(h)	Whether belonging to SC/ST/OBC
II.	(a)	Name of the candidate for appointment
	(b)	His/Her relationship with Government Servant
	(c)	Date of Birth
	(d)	Educational Qualification
	(e)	Whether any other dependent family member has been appointed on compassionate grounds.

III.	Part of	iculars of total assets left including amount	
	(a)	Family Pension	
	(b)	D.C.R. Gratuity	
	(c)	G.P.F. Balance	
	(d)	Life Insurance Policies (including Postal Life Insurance)	
	(e)	Movable and Immovable properties and annual income earned therefrom by family.	
	(f)	C.G.E. Insurance amount	
	(g)	Encashment of leave	
	(h)	Any other assets	
		TOTAL:	
IV.		f particulars of liabilities, if any	

Sl. No	Name(s)	Relation ship with Govt. Servant	Age	Address	Employed or not (if employed, particulars of employment and emoluments)	Marital Status
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2						
3				,		
4						
5						

VI. DECLARATION / UNDERTAKING

- 1. I hereby declare that the facts given by me above are, to the best of my knowledge, correct. If any of the facts herein mentioned are found to be incorrect or false at a future date, my services may be terminated.
- 2. I hereby also declare that I shall maintain properly the other family members who were dependent on the Government Servant / member of the Armed Forces mentioned against 1(a) of Part-A of this form and in case, it is proved at any time that the said family members are being neglected or not being properly maintained by me, my appointment may be terminated.

Date:			

	Signature of the Candidate
Name: _	
Address	:

PART-B

(TO BE FILLED IN BY OFFICE IN WHICH EMPLOYMENT IS PROPOSED)

	a) Nan	me of the candidate	
	b) His/ Servant	/ Her relationship with the Govt.	
		e (Date of Birth), educational ons and experience, if any.	
	d) Pos proposed	st (Group C) which employments	
	within the	ether there is vacancy in th ceiling of 5% prescribed under se of compassionate ent.	
		ether the post to be filled is tral Secretariat Clerical Services	-
	0/	ether the relevant Recruitment Rules r direct recruitment	
	,	ether the candidate fulfills ents of the Recruitment the post	
	Exchange	art from wavier of Employment e/ Staff Selection Commission what other relaxation are to	
1	have been	ether the facts mentioned in Part-A n verified by the office and cate the records	
II	medical gro	ne Government Servant died/retired on rounds more than 5 years back, ase was not sponsored earlier.	
Ш		sonal recommendation of the Head of tment in Ministry/ Department/ Office (with	n his signature and office stamp/

Part - C

Relative Merit Points Assessment On A 100 Point-Scale For Compassionate Appointment

SI. No.	Parameters	Point allotted to the parameters	Points scored by the candidate
1.	Family Pension (Excluding DR & Allowance)	20	
2.	Terminal benefits i.e. Lump sum amount received by the family on death of Govt. servant (i.e. DCR Gratuity, GPF/ Lump sum amount under NPS, CGEGIS, Leave encashment etc.	10	
3.	Annual income of earning members and income from property	10	
4.	Immovable property	10	
5.	Leftover service of the deceased Government Employee	15	
6.	Number of unmarried daughters	10	
7.	Number of dependent minor children	05	
8.	If wife of the deceased Govt. official has applied for compassionate appointment for herself	10	
9.	If one or more person(s) amongst the dependent family members is disable (with % of disability)	10	
	TOTAL	100	